न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3260–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक कमशः 10–09–12 एवं 24–08–12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ एवं तहसीलदार, पलेरा प्रकरण कमांक 135/अपील/11–12 तथा 08/अ–3/10–11.

गकुन्दी पुत्र खरया उर्फ खरे बुनकर
निवासी शेपुरा, तह. पलेरा, जिला टीकमगढ़

––– आवेदक

विरूध्द

1– परमाल पुत्र तुलई अहिरवार
2– ग्यासी पुत्र तुलई अहिरवार
3– लछिया बेवा तुलई अहिरवार
समस्त नि0 ग्राम शेपुरा, तह. पलेरा,
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

–– अनावेदकगण

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक – आवेदक
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 10.6. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ एवं तहसीलदार, पलेरा के प्रकरण कमांक कमशः 135/अपील/11–12 तथा 08/अ–3/10–11 में पारित आदेश दिनांक 10–09–12 एवं 24–08–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक लछिया बेवा बाबूलाल ने भूमि खसरा नं0 20/3/1 रकबा 0.500 हे. के नक्शा तरमीम हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये। दिनांक 2–12–10 को मौका पर पंचनामा बनाकर नक्शा तरमीम प्रस्ताव तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तहसील में आवेदक मकुन्दी व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 24–08–12 व्दारा आपत्ति खारिज की और राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत संशोधित तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10–9–12 व्दारा अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से खारिज की गयी है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी आवेदन राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं कब्जे की भूमि पर नक्शा तरमीम के आदेश दिये गये हैं। राजस्व निरीक्षक ने स्पष्ट लिखा है कि विवादित भूमि जिसकी तरमीम अनावेदक के पक्ष में की जा रही है, उस भूमि पर मकुन्दी बुनकर का कब्जा है। उनका यह भी तर्क है कि नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व आवेदक को सूचना दी गयी और ना तो आवेदक को तहसील न्यायालय में पक्षकार बनाया गया। उनका अन्त में तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में कब्जे के अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये थे जिसका पालन नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तरमीम आदेश के विरूध्द अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से खारिज की है, इसलिये राजस्व मण्डल में धारा 50 के अन्तर्गत

निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकों के अभिभाषक ~~के अभिभाषक~~ का तर्क है कि अनावेदक के स्वत्व एवं कब्जे की भूमि पर आवेदक व्दारा जबरदस्ती कब्जा किया गया है, जबकि तरमीम की गयी भूमि अनावेदक के कब्जे की भूमि है। राजस्व निरीक्षक व्दारा सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना देने के पश्चात पंचनामा सहित नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे तहसीलदार व्दारा स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय में उपलब्ध अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–3–02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर प्रदान कर कब्जे के अनुसार पुनः तरमीम करने के आदेश दिये। तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में अनावेदक लछिया व्दारा आवेदक मकुन्दी को पक्षकार नहीं बनाया गया और म0प्र0शासन को पक्षकार बनाकर तरमीम हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 97 में उपलब्ध पंचनामें में यह अंकित किया गया है कि 'आवेदिका का वर्तमान में कब्जा नहीं है इस भूमि पर हरदास एवं मकुन्दी बुनकर का कब्जा है।' इस पंचनामें में ना तो आवेदक मकुन्दी के हस्ताक्षर हैं और ना ही उसके व्दारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करना अंकित किया गया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 2–12–11 में भी यह अंकित है कि 'मौके पर पाया गया कि आवेदिका लछिया बेवा बाबूलाल अहिरवार निवासी सैपुरा का वर्तमान में कहीं भी कब्जा नहीं है। ग्राम पंचानों एवं आवेदिका ने बताया कि जिस स्थान पर मकुन्दी तनय खरे बुनकर के भूमि खसरा कमांक 20/4/3 की तरमीम की गई है उसी भूमि पर आवेदिका का कब्जा 2 वर्ष पूर्व तक रहा है, किन्तु मकुन्दी तनय खरे बुनकर

व्दारा बलपूर्वक कब्जा कर लिया है।' नक्शा तरमीम की कार्यवाही मौके पर कब्जे अनुसार ही की जा सकती है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश, जिसमें स्पष्ट रूप से कब्जे के अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये गये थे, के आधार पर आवेदक के कब्जे की भूमि अनावेदक की दर्शाकर नक्शा तरमीम करना विधि विपरीत है। यदि अनावेदक को उसके स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि से आवेदक व्दारा 2 वर्ष पूर्व बलपूर्वक बेदखल किया गया था तो अनावेदक को संहिता के प्रावधानों के अनुसार कब्जा वापिसी हेतु कार्यवाही करना चाहिये थी। ऐसा ना करते हुए नक्शा तरमीम के आधार पर, आवेदक के स्वत्व एवं कब्जे की भूमि पर नक्शा तरमीम कराना किसी भी प्रकार से विधिसंगत नहीं है। पूर्व में अनावेदक व्दारा नक्शा तरमीम के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11–03–02 व्दारा स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक की अपील आदेश दिनांक 10–9–12 व्दारा ग्राह्य योग्य नहीं मानकर खारिज करने में त्रुटि की गयी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 24–08–12 अंतिम प्रकृति है और संहिता में प्रावधानानुसार प्रत्येक मूल आदेश के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील हो सकती है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 10–09–12 तथा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 24–08–12 निरस्त किये जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0